

छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005

(क्रमांक 14 सन् 2006)*

व्यक्तियों तथा संगठनों के कतिपय विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का अधिक प्रभावी रूप से निवारण करने तथा संसक्त विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ — (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2006) है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ — इस अधिनियम में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “सलाहकार बोर्ड” से अभिप्रेत है धारा 5 के अधीन गठित बोर्ड,

(ख) “संगठन” से अभिप्रेत है, व्यक्तियों का कोई संयोजन, निकाय या समूह, चाहे वह किसी भी सुभिन्न नाम से ज्ञात हो या नहीं, और चाहे वह किसी सुसंगत विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं और चाहे वह किसी लिखित संविधान द्वारा शासित हो या नहीं,

(ग) “सरकार” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार,

(घ) “अधिसूचना” से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित की गई अधिसूचना तथा शब्द “अधिसूचित” का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा,

(ङ) किसी व्यक्ति या संगठन के संबंध में विधि विरुद्ध कार्यकलाप का अर्थ है कोई भी कार्य जो व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा किया जावे भले ही उस कार्य को घटित करके या कहे गये, या लिखे गये शब्दों द्वारा संकेतों द्वारा या दृश्य प्रस्तुतीकरण द्वारा, या अन्यथा :—

(एक) जो सार्वजनिक व्यवस्था, शान्ति तथा लोक प्रशान्ति को खतरा या भय उत्पन्न करता है, या

(दो) जो सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने में बाधक है या जिसकी प्रवृत्ति सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने में बाधा डालने की है, या

(तीन) जो विधि के प्रशासन या उसकी स्थापित संस्थाओं तथा उसके कार्मिकों के प्रकाशन में बाधक है या जिसकी प्रवृत्ति उनमें बाधा डालने की है, या

(चार) जो अपराधिक बल या अपराधिक बल के प्रदर्शन या अन्यता किसी भी

* दिनांक 7 मार्च, 2006 को राष्ट्रपति एवं दिनांक 18 जनवरी, 2006 को राज्यपाल से अनुमति प्राप्त एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 21 मार्च, 2006 को पृष्ठ 174(1)-(8) में प्रकाशित (प्रभावी दिनांक 21-3-2006)।

- लोकसेवक, जिसमें राज्य शासन या केन्द्र शासन के बल सम्मिलित है, जो विधिपूर्व शक्ति का प्रयोग कर रहा हो को आतंकित करने की रूपरेखा करने का है, या
- (पांच) जो हिंसा, आतंकवाद, बर्बरता के कार्यों में या जनता में भय तथा आशंका उत्पन्न करने वाले अन्य कार्यों में निरत रहने या उसका प्रचार करने वाला है या अग्न्यायुधों, विस्फोटकों तथा अन्य युक्तियों (डिवाइसेस) के उपयोग में निरत रहने या उन्हें प्रोत्साहित करने वाला है या रेल या सड़क द्वारा संचार साधनों को विच्छिन्न करने वाला है, या
- (छः) जो स्थापित विधि तथा उसकी संस्थाओं की अवज्ञा को प्रोत्साहित करने वाला या अवज्ञा का प्रतिपादन करने वाला है, या
- (सात) जो ऊपर वर्णित किसी एक या अधिक विधि विरुद्ध, क्रिया कलापों को कार्यान्वित करने हेतु बलपूर्वक धन या माल संग्रहित करने वाला है,
- (च) “विधि विरुद्ध संगठन” से अभिप्रेत हैं ऐसा कोई संगठन जो किसी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप को करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निरत रहता है या जिसका उद्देश्य किसी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप को किसी भी माध्यम, युक्ति या अन्यथा अभिप्रेरित करना या सहायता देना या सहायता करना या प्रोत्साहन देना है।

3. संगठन को विधि विरुद्ध घोषित किया जाना — (1) यदि राज्य सरकार की यह राय है कि कोई संगठन विधि विरुद्ध संगठन है या हो गया है, तो वह अधिसूचना द्वारा ऐसे संगठन को विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर सकेगी।

(2) ऐसी प्रत्येक अधिसूचना में वे आधार विनिर्दिष्ट किए जायेंगे जिन पर वह जारी की गई है। परन्तु इस उपधारा में कोई भी बात किसी ऐसे तथ्य को प्रकट करने की सरकार से अपेक्षा नहीं करेगी, जिसका प्रकट किया जाना वह लोकहित के विरुद्ध समझती है।

(3) जहां ऐसे विधि विरुद्ध संगठन का कोई रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है, वहां अधिसूचना को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजकर या ऐसे रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में किसी पदाधिकारी को सौंप कर तामील की जायेगी और उस दशा में, जब कोई पदाधिकारी उपलब्ध न हो या वह अधिसूचना प्राप्त करने से इन्कार करता है तो उसे कार्यालय के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपका दिया जायेगा। जहां संगठन का कोई रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नहीं है वहां अधिसूचना को किसी एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

(4) अधिसूचना एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी और वह ऐसी कालावधियों के लिए जो एक समय में एक से अधिक न हो, बढ़ाई जा सकेगी, जैसा कि स्थिति के पुनरीक्षण के पश्चात् आवश्यक समझा जाये।

(5) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना सरकार द्वारा उस स्थिति में प्रतिसंहत की जा सकेगी, जहां वह समझे कि उसके जारी रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है।

4. संगठन द्वारा अभ्यावेदन — विधि विरुद्ध घोषित किया गया संगठन, यदि वह ऐसा पसंद करे, अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख या उसकी प्राप्ति या धारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति में उसके

चिपकाए जाने की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्पूर्ति हो, 15 दिन के भीतर सरकार को अभ्यावेदन भेज सकेगा और ऐसा अभ्यावेदन सलाहकार बोर्ड के समक्ष उसके विचार हेतु रखा जायेगा। संगठन, यदि वह ऐसी वांछा करे, सलाहकार बोर्ड के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निवेदन कर सकेगा।

5. सलाहकार बोर्ड का गठन तथा उसको निर्देश —

- (1) (क) राज्य सरकार, जब भी आवश्यक हो, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी।
- (ख) सलाहकार बोर्ड ऐसे तीन व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रह चुके हैं या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए अर्ह हैं, सरकार सदस्यों को नियुक्त करेगी, और उनमें से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में पदाभिहीत करेगी।

(2) सरकार धारा (3) की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छः सप्ताह के भीतर सलाहकार बोर्ड को निर्देश करेगी, और उसके समक्ष अधिसूचना की एक प्रति, उसके समर्थन में सामग्री तथा विधि विरुद्ध संगठन से प्राप्त अभ्यावेदन यदि कोई हो, उसके द्वारा विचार किए जाने के लिए रखेगी।

6. सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया — (1) सलाहकार बोर्ड अपने समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करने के पश्चात् और सरकार से या संबंधित संगठन के किसी प्रदाधिकारी से या सदस्य से अतिरिक्त जानकारी, यदि आवश्यक हो मांगने के पश्चात् तथा संगठन के प्राधिकृत पदाधिकारी को वैयक्तिक सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सरकार से निर्देश प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) जहां संगठन वैयक्तिक सुनवाई चाहता है वहां सुनवाई की तारीख तथा समय भी विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रज्ञापना संगठन के अभ्यावेदन में उपदर्शित किए गए पते पर भेजी जायेगी। संबंधित संगठन किसी वकील या किसी प्राधिकृत पदाधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति के माध्यम से उपसंज्ञात होने का हकदार नहीं होगा।

(3) सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के एक पृथक भाग में उसकी इस संबंध में राय भी विनिर्दिष्ट की जायेगी कि संबंधित संगठन के संबंध में अधिसूचना जारी करने के लिए पर्याप्त हेतुक था या नहीं।

7. सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्रवाई — (1) ऐसे किसी मामले में, जहां सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट है कि उसकी राय में, संबंधित संगठन को विधि विरुद्ध घोषित करने संबंधी अधिसूचना जारी करने का पर्याप्त हेतुक है, तो सरकार अधिसूचना की पुष्टि कर सकेगी तथा धारा (3) की उपधारा (4) की उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए उसे ऐसी कालावधि के लिए, जैसी कि वह उचित समझे, जारी रख सकेगी।

(2) ऐसे किसी मामले में, जहां सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट है कि उसकी राय में यथापूर्वक अधिसूचना जारी किए जाने के लिए कोई पर्याप्त हेतुक नहीं है वहां सरकार अधिसूचना को तत्काल प्रतिसंहत करेगी।

8. शास्तियां — (1) जो कोई किसी विधि विरुद्ध संगठन का सदस्य है या किसी ऐसे संगठन के सम्मेलनों में या क्रिया-कलापों में भाग लेता है या ऐसे किसी संगठन के प्रयोजन के लिए कोई अभिदाय करता है या उसके लिए कोई अभिदाय प्राप्त करता है उसकी याचना करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के भी दायित्वधीन होगा।

(2) जो कोई किसी विधि विरुद्ध संगठन का सदस्य न होते हुए किसी भी तरह से ऐसे संगठन के लिए अभिदाय करता है या उसके लिए कोई अभिदाय प्राप्त करता है या उसकी याचना करता है या ऐसे संगठन के किसी सदस्य को संश्रय देता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास जो दो वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने के भी दायित्वधीन होगा।

(3) जो कोई किसी विधि विरुद्ध संगठन का प्रबंधन करता है या प्रबंधन में सहयोग करता है, या ऐसे संगठन की किसी बैठक या सदस्य को बढ़ावा देता है या सहयोग करता है, या किसी ढंग से ऐसे संगठन की विधि विरुद्ध गतिविधि में भाग लेता है, या किसी भी माध्यम या उपकरण से भागीदार है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माने के लिए दायित्वधीन होगा।

(4) कोई भी पुलिस अधिकारी इस धारा की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण उस समय तक नहीं करेगा, जब तक कि संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुज्ञा प्रदान न किया गया हो,

(5) जो कोई किसी भी विधि विरुद्ध कार्यकलाप को घटित करता है या दुष्प्रेरण करता है या घटित करने की प्रयास करता है या घटित करने की योजना बनाता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 7 वर्ष तक हो सकेगा एवं जुर्माने के भी दायित्वधीन होगा।

9. विधि विरुद्ध क्रिया-कलापों के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये जाने वाले स्थानों को अधिसूचित करने तथा उनका कब्जा लेने की शक्ति — (1) जिला मजिस्ट्रेट, किसी ऐसे स्थान को जो उसकी राय में किसी विधि विरुद्ध संगठन के क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाया जाता है अधिसूचित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण — इस आधार के उद्देश्य हेतु, स्थान से अभिप्राय में घर, भवन या उनका अंश या तब्बू या जलयान भी सम्मिलित होगा।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन कोई स्थान अधिसूचित किया जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किया गया कोई अधिकारी अधिसूचित किए गए स्थान का कब्जा ले सकेगा और उसके अन्दर पाए गए किसी भी व्यक्ति को वहां से बेदखल कर सकेगा तथा जिला मजिस्ट्रेट कब्जा लिए जाने की रिपोर्ट सरकार को तत्काल करेगा।

परन्तु जहां ऐसे स्थान में कोई ऐसा प्रकोष्ठ अंतर्विष्ट है जो बच्चों या महिलाओं के अधियोग में है, वहां उन्हें यथा संभव न्यूनतम असुविधा के साथ हटने के लिए युक्तियुक्त समय और सुविधाएं दी जाएगी।

(3) ऐसा अधिसूचित स्थान, जिसका कब्जा उपधारा (2) के अधीन ले लिया जाता है, सरकार के कब्जे में उस समय तक, जब तक ऐसे विधि विरुद्ध संगठन के संबंध में धारा 3 के अधीन अधिसूचना प्रवृत्त बनी रहती है या ऐसी पूर्वतर कालावधि के लिए जैसा कि सरकार विनिश्चय करे, बना रहेगा।

10. अधिसूचित स्थान में पाई गई जंगम संपत्ति — (1) जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया अधिकारी, अधिसूचित स्थान का कब्जा लेते समय उस स्थान में पाई गई जंगम संपत्ति, जिसके अंतर्गत धन, प्रतिभूतियां या अन्य आस्तियां हैं, का भी कब्जा लेगा और उसकी एक सूची दो प्रतिष्ठित साक्षियों की उपस्थिति में बनाएगा।

(2) यदि जिला मजिस्ट्रेट की यह राय हो कि सूची में विनिर्दिष्ट की गई कोई वस्तु विधि विरुद्ध संगठन के प्रयोजनों के लिए है या उनके लिए उपयोग में लाई जा सकती है या उनकी सहायता के लिए है तो वह इस धारा में इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसी वस्तुएं सरकार को समपहृत किए जाने संबंधी कार्यवाही करने का आदेश दे सकेगा।

(3) सूची में विनिर्दिष्ट की गई अन्य समस्त वस्तुएं ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जायेगी, जिसे जिला मजिस्ट्रेट उसके कब्जे के लिए हकदार समझे और यदि ऐसा व्यक्ति उसका हकदार नहीं पाया जाए, तो उसका व्ययन ऐसे रीति में किया जायेगा, जैसा कि वह निर्देश दें।

(4) जिला मजिस्ट्रेट ऐसी वस्तुओं को, जो समपहृत किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं, विनिर्दिष्ट करते हुए और किसी ऐसे व्यक्ति जो यह दावा करता है कि कोई वस्तु समपहृत किए जाने के लिए दायी नहीं है, कोई अभ्यावेदन, जिसे वह वस्तु के समपहरण के विरुद्ध करना चाहता है, सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर, लिखित में पेश करने की अपेक्षा करते हुए एक सूचना दो स्थानीय समाचार पत्रों, जिनमें से एक हिन्दी भाषा में होगा, प्रकाशित करेगा और ऐसी सूचना की एक प्रति उस स्थान के किसी सहजदृश्य भाग पर भी, जहां से ऐसा सम्पत्ति का कब्जा लिया गया था, चिपकवायेगा।

(5) जिला मजिस्ट्रेट अभ्यावेदन पर विचार करेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा कि वह उचित समझे। यदि वस्तु को समपहृत किए जाने का विनिश्चय किया जाता है तो वह उसके लिए कारण देगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन पारित किए गये समपहरण के किसी आदेश के विरुद्ध वह व्यक्ति, जिसने अभ्यावेदन किया था, आदेश प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर सरकार को अपील फाईल कर सकेगा। सरकार अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश जैसा कि वह उचित समझे, पारित कर सकेगी सरकार का ऐसा आदेश अंतिम होगा।

(7) राज्य सरकार किसी भी समय स्वविवेकानुसार स्वप्रेरणा से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा (5) अधीन पारित किए गए किसी आदेश की वैधता शुद्धता या उसके औचित्य के बारे में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए अभिलेखों को मांग सकेगी और उनकी परीक्षा कर सकेगी और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जैसा कि वह उचित समझे।

(8) यदि अभिग्रहित वस्तु या विनश्वर प्रकृति की है जो जिला मजिस्ट्रेट, यदि वह इसे समीचीन समझे, उसके तुरंत विक्रय का आदेश दे सकेगा और विक्रय के आगमों का व्ययन ऐसी रीति में किया जायेगा जो अन्य वस्तुओं के व्ययन के लिए इसमें उपबंधित की गई है।

11. किसी विधि विरुद्ध संगठन की निधियों का समपहरण करने की शक्ति — (1) जहां सरकार का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह उचित समझे, यह समाधान हो जाता है कि किन्हीं धन, प्रतिभूतियों या अन्य आस्तियों का किसी विधि विरुद्ध संगठन के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है, या उनका प्रयोग किया जाना आशयित है तो सरकार, लिखित आदेश द्वारा यह

घोषणा कर सकेगी कि ऐसी धन, ऐसी प्रतिभूतियों या अन्य आस्तियां, चाहे वे जिस किसी की हो, सरकार को समपहत हो जाने की घोषणा कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश की एक प्रति व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा में ऐसा धन, ऐसी प्रतिभूतियां या अन्य आस्तियां है तामील की जा सकेगी और ऐसी प्रति के तामील होने पर ऐसा व्यक्ति सरकार के आदेश से धन का भुगतान करेगा तथा प्रतिभूतियां या अन्य आस्तियां परिदत्त करेगा : परन्तु धन या प्रतिभूतियों के मामले में आदेश की एक प्रति ऐसे अधिकारी को जिसका सरकार चयन करे, निष्पादन के लिए पृष्ठांकित की जा सकेगी और ऐसे अधिकारी की किसी ऐसे परिसर में जहां ऐसे धन या प्रतिभूतियों के होने का युक्तियुक्त रूप से संदेह हो, प्रवेश करने तथा तलाशी लेने और उनका अभिग्रहण करने की शक्ति होगी।

(3) सरकार, उपधारा (1) के अधीन समपहरण का आदेश होने के पूर्व ऐसे व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसकी अभिरक्षा में धन, प्रतिभूतियां या अन्य आस्तियां पाई जाती है, समपहरण करने के अपने आशय की लिखित सूचना देगी और ऐसा व्यक्ति सूचना की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर समपहरण के प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध सरकार को अभ्यावेदन कर सकेगा। सरकार प्रभावित व्यक्ति से प्राप्त अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगी जैसा कि वह उचित समझे।

(4) जहां सरकार का यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में ऐसा कोई धन, ऐसी प्रतिभूतियां या ऐसी अन्य आस्तियां हैं जिनका उपयोग किसी विधि विरुद्ध संगठन के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है या जो ऐसा उपयोग किये जाने के लिए आशयित है, वहां सरकार, उस स्थिति के सिवाय जबकि ऐसे धन, ऐसी प्रतिभूतियों या ऐसी अन्य आस्तियों का भुगतान, परिदान, अंतरण या संव्यवहार सरकार के किसी लिखित आदेश के अनुसार हो, ऐसे व्यक्ति को उस धन, उन प्रतिभूतियों या आस्तियों का भुगतान करने, उनका परिदान करने, अंतरण करने या उनके संबंध में किसी भी रीति में, चाहे जो भी हो, कोई संव्यवहार करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगी। ऐसे आदेश की एक प्रति उस व्यक्ति पर तामील की जायेगी जिसे कि वह निदेशित है।

(5) सरकार उपधारा (4) के अधीन आदेश की एक प्रति ऐसे अधिकारी को, जिसका वह चयन करे, अन्वेषण के लिए पृष्ठांकित कर सकेगी और ऐसी प्रति वारंट समझी जायेगी जिसके अधीन ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति के, जिसे कि आदेश में निदेशित किया गया है, किन्हीं परिसरों में प्रवेश कर सकेगा, धन तथा प्रतिभूतियों की तलाशी ले सकेगी और ऐसे व्यक्ति से ऐसे धन, ऐसी प्रतिभूतियां अन्य आस्तियों के, जिनके बारे में अन्वेषण अधिकारी को यह संदेह हो कि वे किसी विधि विरुद्ध संगठन के लिए उपयोग की जा रही हैं या जो ऐसे उपयोग किए जाने के लिए आशयित हैं, संबंध में उनके खोत और संव्यवहारों तक पहुंचने के लिए जांच कर सकेगा।

(6) इस धारा के अधीन आदेश की एक प्रति उसी रीति में तामील की जा सकेगी जो समन की तामील के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. 2) में उपबंधित है या जहां ऐसा व्यक्ति, जिसे तामील की जाना है, कोई निगम, कम्पनी, बैंक या व्यक्तियों का संगठन है, वहां उसके किसी सचिव, निदेशक या उसके प्रबंध से संबंधित अधिकारी या व्यक्ति पर या निगम, कम्पनी, बैंक या संगठन को उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर या जहां कोई रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नहीं है वहां उस स्थान पर, जहां कारबार चलाया जा रहा है, पहुंचाकर या डाक द्वारा भेजकर तामील की जा सकेगी। जहां शासन संतुष्ट हो कि परिस्थितियों में ऐसी प्रक्रिया का पालन संभव नहीं है, वहां इस आदेश का

प्रकाशन किसी स्थानीय समाचार पत्र में करवाया जा सकेगा।

(7) जहां ऐसे धन, प्रतिभूतियों का अन्य आस्तियों के, जिनके बारे में उपधारा (4) के अधीन प्रतिषेधात्मक आदेश दिया गया है, संबंध में उपधारा (1) के अधीन समपहरण का आदेश दिया गया है, वहां समपहरण का ऐसा आदेश, प्रतिषेधात्मक आदेश की तारीख से प्रभावी होगा और वह व्यक्ति, जिसे प्रतिषेधात्मक आदेश निदेशित किया गया था, समपहृत किए गए समस्त धन का भुगतान तथा प्रतिभूतियों या अन्य आस्तियों का परिदान सरकार के आदेशित व्यक्ति को करेगा।

(8) जहां कोई व्यक्ति, जो सरकार के आदेशित व्यक्ति को धन का भुगतान करने या प्रतिभूतियों अथवा अन्य आस्तियों का परिदान करने का इस धारा के अधीन दायी है, सरकार के इस निमित्त किसी निदेश का पालन करने से इन्कार करता है या उसमें (पालन में) असफल रहता है तो सरकार ऐसे व्यक्ति से धन को रकम या अन्य वित्तीय आस्तियां या ऐसी प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य भू-राजस्व के बकाया के तौर पर जुर्माने के रूप में वसूल कर सकेगी।

(9) इस धारा में प्रतिभूति में सम्मिलित है ऐसा कोई दस्तावेज जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि वह धन का भुगतान करने के विधिक दायित्व के अधीन है या जिसके अधीन कोई व्यक्ति धन के भुगतान का विधिक अधिकार अभिप्राप्त करता है और किसी प्रतिभूति का बाजार मूल्य से अभिप्रेत है वह मूल्य जो सरकार द्वारा इस निमित्त प्रतिनियुक्ति किए गए किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा यथा नियत मूल्य।

(10) सिवाय उस जानकारी के जहां तक वह इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है, उपधारा (5) के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान अभिप्राप्त की गई कोई जानकारी सरकार के किसी अधिकारी द्वारा सरकार की सम्पत्ति के बिना प्रकट नहीं की जायेगी।

(11) सरकार इस धारा के अधीन अपनी शक्तियों को किसी ऐसे अधिकारी को जो जिला मजिस्ट्रेट की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, आदेश द्वारा प्रत्यायोजित कर सकेगी और उसी प्रकार उनका प्रत्याहरण कर सकेगी।

(12) सरकार किसी भी समय स्वविवेकानुसार या तो स्वप्रेरणा से या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर जिसने अभ्यावेदन किया है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा (11) के अधीन पारित किए गए किसी आदेश की वैधता, शुद्धता या उसके औचित्य के बारे में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए अभिलेखों को मंगा सकेगी और उनकी परीक्षा कर सकेगी और उसके संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगी, जैसा कि वह उचित समझे।

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश सरकार द्वारा तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि उस पक्षकार को, जिसके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, अभ्यावेदन करने का अवसर न दे दिया गया हो।

12. पुनरीक्षण — (1) सरकार द्वारा धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन पारित किए गए किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध, जिसमें धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना की पुष्टि की गई है या जिसमें धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन पारित किए गए किसी आदेश के विरुद्ध जिसमें अधिसूचना की कालावधि में वृद्धि की गई या धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन समपहरण के किसी आदेश के विरुद्ध, जिसमें उसकी वैधता, शुद्धता या औचित्य को प्रश्नगत किया गया है, पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय में होगा।

(2) इस धारा के अधीन पुनरीक्षण याचिका उपधारा (1) में निर्दिष्ट सरकार की आदेश की प्राप्ति से तीन दिन की कालावधि के भीतर फाईल की जायेगी।

13. अधिसूचित स्थानों पर अतिचार — ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी की अनुज्ञा के बिना अधिसूचित क्षेत्र में प्रवेश करता है या उसमें बना रहता है तो उसके संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने आपराधिक अतिचार का अपराध किया है।

14. अधिकारिता का वर्जन — इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय और भारत के संविधान के अधीन उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की अधिकारिता तथा शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाहियों की किसी वाद या कार्यवाही या आवेदन में या अपील या पुनरीक्षण के रूप में किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही के बारे में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जायेगा।

15. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण — इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध या सरकार की ओर से या सरकार से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी संपत्ति के संबंध में, जिसका कब्जा सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन ले लिया गया है, हुई हानि या नुकसान के लिए कोई सिविल या दांडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

16. अपराधों का संज्ञान एवं अनुसंधान — (1) इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय एवं अजमाननीय होंगे।

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराधों की विवेचना निरीक्षक से अनिम्न पुलिस अधिकारी द्वारा जावेगी।

(3) इस अधिनियम के अंतर्गत घटित या दुष्प्रेरित या घटित करने का प्रयास या घटित करने की रूपरेखा प्रदर्शित करने के सभी अपराध संबंधित क्षेत्र के जिला पुलिस अधीक्षक की लिखित अनुमति के बिना पंजीबद्ध नहीं किए जायेंगे।

(4) कोई भी न्यायालय ऐसे अपराध का, उस क्षेत्र या जिले के जिला दण्डाधिकारी की रिपोर्ट के बिना, संज्ञान नहीं होना।

17. संगठन का गठन — किसी संघटन को मात्र विघटन के किसी औपचारिक कार्य का नाम में किसी मौखिक या लिखित घोषणा द्वारा परिवर्तन से यह नहीं समझा जावेगा कि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है परन्तु ऐसे संगठन या उसके किसी सदस्य का अस्तित्व तब तक समझा जावेगा जब तक कि वह वास्तविक रूप से विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में संलग्न हो या उसे चालू रखता हो।

18. नियम बनाने की शक्ति — सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के समस्त या उसके ही प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा पटल पर रखे जायेंगे।